165/2024
संख्या–3497/26–3–2024–3(28)/78

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 02 दिसम्बर 2024

विषयः–प्रदेश के गोंड एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही (कुल 17 जनपद) में अनुसूचित जनजाति एवं शेष (58 जनपद) में गोंड जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 में उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रमांक–36 पर गोंड को अधिसूचित किया गया है तथा भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 के अनुसार उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्रमांक–06 पर गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को प्रदेश के 13 जनपदों यथा (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र) में अधिसूचित किया गया है।

2– तत्क्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–12016/26/2001–टी0ए0(आर0एल0) दिनांक 15.12.2003 द्वारा धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को गोंड जाति की पर्याय के रूप में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया गया हैः–

"Dhuria, Nayak, Ojha, Pathari, Rajgond has been added as synonym to Gond tribe in the districts of Maharajganj, Sidharthnaghar, Basti, Gorakhpur, Mau, Ajamgarh, Jaunpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts and they have not been specified as separate entries in the list of Scheduled Tribes of Uttar Pradesh."

3– भारत का राजपत्र अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियॉ आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2022 में उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों की सूची में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को प्रदेश के अन्य 04 जनपदों (संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही) को भी जोड़ कर अधिसूचित किया गया है।

4– उक्त संशोधन के कम में शासनादेश दिनांक–24.02.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जनपद–संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में निवासरत 'गोंड' (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) के व्यक्तियों को भी विद्वमान सुसंगत शासनादेशों के आलोक में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

5– उल्लेखनीय है कि प्रदेश के गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को 13 जनपदों (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में अनुसूचित जनजाति व शेष 62 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक–129/2021/3206/26–3–2021, दिनांक–03.11.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

6– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि प्रदेश में निवासरत गोंड एवं उसकी पर्याय धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को 17 जनपदों में (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही) में अनुसूचित जनजाति का तथा शेष 58 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक–03.11.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

पृ0सं0–3497(1)/26–3–2024–तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को अपने स्तर से अपेक्षित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

2–निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।

3–श्री अरूण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, गोंड वेलफेयर इम्प्लाइज एसोसिएशन, उ0प्र0, कार्यालय पता–12 बी/299, वृन्दावन कालोनी, रायबरेली रोड, लखनऊ।

4–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या-Computer No:1690967 File No:26-3099/100/2023/676/26-3-2023

प्रेषक,

डॉ0 हरिओम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3-समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
4-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 24 फरवरी 2023**

विषयः संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश-1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) (द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक-24.12.2022 द्वारा किये गये संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-12026/35/2013-सी एण्ड एलएम-पार्ट(1)(ई-23009), दिनांक-20.01.2023 द्वारा यह संसूचित किया गया है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश-1950, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के क्रम में (अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) एक्ट 2022 दिनांक-24.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश में 'गोंड' (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सन्दर्भ में निम्नवत संशोधन किया गया है:-

"In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 (C.O.19), in the Schedule, in PART XVIII.-Uttar Pradesh, in entry 36, for the words "Mirzapur and Sonbhadra", the words "Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli and Bhadohi" shall be substituted."

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप सम्प्रति जनपद-मिर्जापुर एवं सोनभद्र के अतिरिक्त **04 अन्य जनपदों**-जनपद-संतकबीरनगर, कुशीनगर, चन्दौली एवं भदोही में निवासरत 'गोंड' (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड) जाति के व्यक्तियों को भी विद्यमान सुसंगत शासनादेशों के आलोक में अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by हरिओम
Date: 24-02-2023 12:34:02
Reason: Approved

(डॉ0 हरिओम)
प्रमुख सचिव।

abhi

पृ0सं0- संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-अनुसचिव, मिनिस्ट्री आफ ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार, (सी0एण्ड एल0एम0डिवीजन), प्रथम तल, गेट नं0-5, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनांक-20.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ।

2-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को अपने स्तर से अपेक्षित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

3-निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0लखनऊ।

4-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

5-निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0।

6-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0।

7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

abhi